

08-05-18

आवेदिका अनुपस्थित। उसकी ओर से कोई उप0 नहीं।

अनावेदक अनुपस्थित। उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आवेदक, अनावेदक एवं उनके अधिवक्तागण को बार बार पुकार लगवाई गयी, लेकिन पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

इस समय 4:55 का समय हो चुका है। पक्षकार उपस्थित नहीं, उनके अधिवक्तागण भी उपस्थित नहीं। अतः पक्षकारों एवं उनके अधिवक्तागण की अनुपस्थिति में प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्जकर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt.Bhind (M.P.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)